राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर.

अपील संख्या – 78/2014/उदयपुर

सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी,
प्रतिकरापवंचन घट–द्वितीय, बांसवाड़ा .....अपीलार्थी

बनाम्

मैसर्स जे.एम.सी. प्रोजेक्ट्स (ई) लि.,
जरिये के.टी.पी.साईट उण्डाल, झालारापाटन (राजस्थान),
मुख्य कार्यालय–05, सरदारपुरा, गुमानीयावाला, उदयपुर। .....प्रत्यर्थी

एकलपीठ
श्री मदन लाल, सदस्य

उपस्थित : :
श्री आर.के.अजमेरा,
उप–राजकीय अभिभाषक। .....अपीलार्थी की ओर से

श्री गौतम सकलेचा,
अभिभाषक । .....प्रत्यर्थी की ओर से

निर्णय दिनांक : 03.09.2014

निर्णय

1. अपीलार्थी सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन, घट–द्वितीय बांसवाड़ा (जिसे आगे "सशक्त अधिकारी" कहा जायेगा) द्वारा उक्त अपील अतिरिक्त आयुक्त, अपीलीय प्राधिकारी, वाणिज्यिक कर (अपील्स), उदयपुर (जिसे आगे "अपीलीय अधिकारी" कहा जायेगा) के द्वारा पारित आदेश दिनांक 13.08.2013, जो अपील संख्या 169/वैट/2012–2013 के संबंध में पारित किया गया है, के विरूद्ध पेश की गयी है तथा जिसमें अपीलार्थी सशक्त अधिकारी ने राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे "अधिनियम" कहा जायेगा) की धारा 76(6) के तहत् आरोपित शास्ति रू.1,85,952/– को अपीलीय अधिकारी द्वारा अपास्त किये जाने को विवादित किया गया है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन–प्रथम, बांसवाड़ा (जिसे आगे "सक्षम अधिकारी" कहा जायेगा) द्वारा दिनांक 16.10.2012 को वाहन संख्या आर.जे.27 1जी–1755 को राष्ट्रीय राजमार्ग, रतनपुर पर "लकड़ी व प्लाईवुड" परिवहनीत करते समय जांच हेतु रोका गया । वाहन में परिवहनीत माल के संबंध में दस्तावेज चाहने पर वाहन चालक/माल प्रभारी द्वारा दस्तावेजों के संलग्न घोषणा प्ररूप वैट–47 वास्ते जांच प्रस्तुत किये। प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच बाद सक्षम अधिकारी द्वारा यह अवधारित किया गया कि प्रस्तुत घोषणा प्ररूप वैट–47 कालातीत है। अतः सक्षम अधिकारी ने उक्त कृत्य को अधिनियम की धारा 76(2) सपठित राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर नियमों, 2006 के नियम 53(7) के प्रावधानों की अवहेलना के कारण, अधिनियम की धारा 76(6) के तहत् अभियोग दर्ज कर, अपीलार्थी सशक्त अधिकारी को अग्रिम कार्यवाही हेतु पत्रावली प्रेषित की गयी।

अपीलार्थी सशक्त अधिकारी द्वारा प्रकरण के संबंध में प्रस्तुत घोषणा प्ररूप वैट–47 कालातीत होने के कारण अधिनियम की धारा 76(2)(बी) का उल्लंघन होने के कारण अधिनियम की धारा 76(6) के तहत् शास्ति आरोपण हेतु जारी नोटिस की पालना में प्रत्यर्थी व्यवहारी की ओर से वाहन चालक एवम् माल प्रभारी श्री लादूसिंह ने प्रत्यर्थी व्यवहारी के सी.ए श्री गौतम सकलेचा की ओर से लिखित जवाब मय घोषणा प्ररूप वैट 47 क्रमांक 0393476 जिसे दिनांक 15.10.2012 को विभाग से जारी करवाया गया था, प्रस्तुत किया गया। जिसे अपीलार्थी सशक्त अधिकारी द्वारा अस्वीकार कर, अधिनियम की धारा 76(6) के तहत् शास्ति व कर की मांग राशि कायम की गयी । जिसके विरूद्ध अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत करने पर अपीलीय अधिकारी द्वारा प्रत्यर्थी व्यवहारी की अपील स्वीकार की। जिससे व्यथित होकर अपीलार्थी सशक्त अधिकारी द्वारा इस अपील में चुनौती दी गयी है।

3. उभयपक्षीय बहस सुनी गयी ।

4. अपीलार्थी सशक्त अधिकारी की ओर से उप–राजकीय अभिभाषक ने अभिवाक् किया कि प्रकरण में यह पूर्णतः स्पष्ट है कि व्यवहारी द्वारा वक्त परिवहन माल के साथ घोषणा प्ररूप वैट–47 अवधि पार होने के कारण अपीलार्थी सशक्त अधिकारी द्वारा अधिनियम की धारा 76(6) के तहत् जो शास्ति आरोपित की है वह विधिसम्मत एवम् उचित है जैसा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय मै0 गुलजग इण्डस्ट्रीज बनाम वा0क0अ0,18 टैक्स अपडेट 321 में यह सिद्धांत प्रतिपादित किया है कि माल परिवहन के दौरान दस्तावेज उपलब्ध नहीं होन अथवा अपूर्ण होने पर, कर चोरी की मंशा को प्रमाणित करना आवश्यक नहीं है। अतः अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश पूर्णतः अविधिक होने के कारण उक्त को अपास्त करने का निवेदन कर, अपीलार्थी सशक्त अधिकारी द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार करने की प्रार्थना की गयी।

5. प्रत्यर्थी व्यवहारी की ओर से अधिकृत प्रतिनिधि ने उपस्थित होकर कथन किया कि कालातीत घोषणा प्ररूप वैट–47 प्रस्तुत करना मात्र एक तकनीकी त्रुटि थी जिसके संबंध में शास्ति आरोपित की है, वह विधिसम्मत एवम् उचित नहीं है । अपने उक्त कथन के समर्थन में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायिक दृष्टांत 120 एस. टी.सी. 212 मैसर्स महावीर चंद एण्ड सन्स, माननीय कर बोर्ड की समन्वय पीठ (एकलपीठ) द्वारा अपील कमांक 2505/2011/चुरू निर्णय दिनांक 08.01.2013, मैसर्स नेवेयर इन्टरनेशनल लि., कोटा बनाम् सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, उड़नदस्ता, कोटा (2002) 1 आर.टी.आर. 149 निर्णय दिनांक 17.03.2002, सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन–द्वितीय, जोधपुर बनाम् मैसर्स जे.के.इण्डस्ट्रीज, कांकरोली, राजसमंद (2002) 1 आर.टी.आर. 26 के प्रकरणें में हुये निर्णयों को प्रोद्धरित कर कथन

लगातार.....3

किया कि माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने अवधि पार घोषणा प्ररूप की प्रस्तुति को मात्र एक तकनीकी अनियमितता होना अवधारित किया है तथा उक्त विधिक स्थिति के आलोक में, अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश विधिक होने के कारण अपीलार्थी सशक्त अधिकारी द्वारा प्रस्तुत अपील को अस्वीकार करने की प्रार्थना की गयी। अपने कथन के समर्थन में कर बोर्ड की समन्वय पीठ के न्यायिक दृष्टांत अपील संख्या 2193/2007/अलवर निर्णय दिनांक 28.06.2013 को प्रोद्धरित किया गया । विशिष्ट रूप से कथन किया कि अपीलार्थी सशक्त अधिकारी द्वारा जारी नोटिस की पालना में विभाग से नया घोषणा प्ररूप वैट–47 जारी करवाया जाकर, प्रस्तुत कर दिया गया था जिसे भी अपीलार्थी सशक्त अधिकारी द्वारा अस्वीकार कर दिया गया जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायिक दृष्टांत मैसर्स डी.पी.मेटल्स 124 एस.टी.सी. 611 में प्रतिपादित सिद्धांतों के आलोक में भी विधिसम्मत एवम् उचित नहीं है । अतः अपने उक्त तर्कों व माननीय न्यायालयों के न्यायिक दृष्टांतों के आलोक में, अपीलीय आदेश की पुष्टि करने का निवेदन कर, अपीलार्थी सशक्त अधिकारी द्वारा प्रस्तुत अपील अस्वीकार करने की प्रार्थना की गयी।

6. उभयपक्षीय बहस पर मनन किया गया। रिकॉर्ड का परिशीलन किया गया। प्रकरण में स्पष्ट है कि माल प्रभारी द्वारा वाहन में परिवहनित माल के संबंध में प्रस्तुत दस्तावेजों के संलग्न घोषणा प्रपत्र वैट–47 प्रस्तुत किया गया था । माल के अन्य समस्त विहित दस्तावेज सही एवम् पूर्ण पाये गये थे । हस्तगत प्रकरण में विवादित बिन्दु पर माननीय कर बोर्ड द्वारा भी सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन–द्वितीय, जोधपुर बनाम् मैसर्स जे.के. इण्डस्ट्रीज, कांकरोली, राजसमंद (2002) 1 आर.टी.आर. 26 में अवधि पार घोषणा प्ररूप की प्रस्तुति को एक तकनीकी अनियमितता माना है । अतः इस आधार पर शास्ति का आरोपण अनुचित एवम् अविधिक है, जैसाकि इस संबंध में माननीय न्यायालय ने यह सिद्धांत प्रतिपादित किया है । उक्त न्यायिक निर्णय के विरूद्ध सिविल अपील (एस.एल.पी.) माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गयी थी, जो क्रमांक 12811/2000 पर दर्ज होकर, दिनांक 28.06.2000 को खारिज कर दी गयी है। चूंकि विवादित बिन्दु पर विधिक स्थिति ने अंतिमतता ग्रहण कर ली है अतः, इस संबंध में विद्वान अभिभाषक प्रत्यर्थी व्यवहारी के तर्क विधिसम्मत एवम् उचित है। लिहाजा, माननीय उच्च न्यायालय द्वारा उक्त बिन्दु के संबंध में प्रतिपादित सिद्धांत के आलोक में, हस्तगत प्रकरण में अपीलार्थी सशक्त अधिकारी द्वारा पारित आदेश विधिसम्मत एवम् उचित नहीं है। अतः उपर्युक्त वर्णित विधिक स्थिति के दृष्टिगत अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश की पुष्टि कर, अपीलार्थी सशक्त अधिकारी द्वारा प्रस्तुत अपील अस्वीकार की जाती है।

7. परिणामतः, अपीलार्थी सशक्त अधिकारी द्वारा प्रस्तुत अपील अस्वीकार की जाती है।

8. निर्णय सुनाया गया ।

2.9.2014

(गदन लाल)
सदस्य